<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072025-264914 CG-DL-E-23072025-264914

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3304]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 2025/श्रावण 1, 1947

No. 33041

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 2025/SHRAVANA 1, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2025

का.आ. 3378(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एसिटिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 को वापस लेती है, और उक्त प्रयोजन हेतु, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 2791(अ), तारीख 5 अगस्त, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विखंडित करती है।

[फा. सं. सी-II-13012/3/2021-रसायन II-सीपीसी]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

4924 GI/2025 (1)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals) ORDER

New Delhi, the 23rd July, 2025

S.O. 3378(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby withdraws the Acetic Acid (Quality Control) Order, 2019, and for the said purpose, rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers issued *vide* number S.O. 2791(E), dated the 5th August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. C-II-13012/3/2021-CHEM. II-CPC]
DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2025

का.आ. 3379(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, मेथनॉल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 को वापस लेती है, और उक्त प्रयोजन हेतु, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 2793(अ), तारीख 5 अगस्त, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विखंडित करती है।

[फा. सं. सी-II-13012/3/2021-रसायन II-सीपीसी] दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 2025

S.O. 3379(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby withdraws the Methanol (Quality Control) Order, 2019, and for the said purpose, rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers issued *vide* number S.O. 2793(E), dated the 5th August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. C-II-13012/3/2021-CHEM. II-CPC] DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2025

का.आ. 3380(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एनिलिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 को वापस लेती है, और उक्त प्रयोजन हेतु, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 2792(अ), तारीख 5 अगस्त, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विखंडित करती है।

[फा. सं. सी-II-13012/3/2021-रसायन II-सीपीसी] दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 2025

S.O. 3380(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby withdraws the Aniline (Quality Control) Order, 2019, and for the said purpose, rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers issued *vide* number S.O. 2792(E), dated the 5th August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. C-II-13012/3/2021-CHEM. II-CPC] DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.